

न्यायालय-श्रीमती अर्चना नायडू बोडे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला सीहोर (म0प्र0)

क्रमांक :- 330 / मु0न्या0म0 / 2024

सीहोर, दिनांक 04 / 05 / 2024

॥ आ दे श ॥

इस आदेश द्वारा नीचे उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट सीहोर/ नसरुल्लागंज/ बुदनी/ इछावर को उनके नाम के समक्ष **माह मई, जून एवं जुलाई, 2024** में दर्शित अवकाश की तिथियों में रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथियों को अपरान्ह 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

सीहोर :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-मई	माह-जून	माह-जुलाई
1-	श्रीमती स्वप्नश्री सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	26-05-2024	-	28-07-2024
2-	श्रीमती राखी सिकरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	05-05-2024	02-06-2024	07-07-2024
3-	सुश्री मानसी बलूजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	07-05-2024 12-05-2024	17-06-2024 30-06-2024	21-07-2024
4-	श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	23-05-2024	09-06-2024 15-06-2024	14-07-2024
5-	सुश्री शिवानी श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर	18-05-2024 19-05-2024	16-06-2024 23-06-2024	17-07-2024

नसरुल्लागंज :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-मई	माह-जून	माह-जून
6-	श्रीमती सुनीता गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज	07-05-2024 12-05-2024	02-06-2024 09-06-2024 15-06-2024	14-07-2024 17-07-2024
7-	श्रीमती भावना जाटवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नसरुल्लागंज	18-05-2024 19-05-2024 23-05-2024 26-05-2024	16-06-2024 17-06-2024 23-06-2024 30-06-2024	07-07-2024 21-07-2024 28-07-2024

बुदनी :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	माह-मई	माह-जून	माह-जुलाई
8-	सुश्री सपना शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी, जिला सीहोर	12-05-2024 18-05-2024 26-05-2024	16-06-2024 17-06-2024 23-06-2024	07-07-2024 14-07-2024 17-07-2024
9-	सुश्री मिताली पाठक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बुदनी, जिला सीहोर	05-05-2024 19-05-2024 23-05-2024	02-06-2024 09-06-2024 15-06-2024 30-06-2024	21-07-2024 28-07-2024

इछावर :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	अवकाश की तिथियां
10-	श्रीमती प्राची समाधिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इछावर, जिला सीहोर	माह-मई, जून एवं जुलाई के सभी अवकाश दिवस में। नोट :- उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर होने पर उनके रिमांड का आवश्यक कार्य सीहोर में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

नोट :-

1- उक्त शासकीय अवकाश के अतिरिक्त यदि कोई अवकाश दिवस घोषित होता है तो :-

सीहोर :-

- माह **मई** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।
- माह **जून** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **सुश्री शिवानी श्रीवास्तव**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।
- माह **जुलाई** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **सुश्री मानसी बलूजा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील नसरुल्लागंज :-

- माह **मई** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **श्रीमती भावना जाटवा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।
- माह **जून** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **श्रीमती भावना जाटवा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

- माह **जुलाई** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **श्रीमती सुनीता गोयल**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील बुदनी :-

- माह **मई** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **सुश्री मिताली पाठक**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।
- माह **जून** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **सुश्री सपना शिवहरे**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।
- माह **जुलाई** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर **सुश्री मिताली पाठक**, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर के द्वारा रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

तहसील इछावर :-

- माह **मई**, **जून** एवं **जुलाई** में कोई अवकाश दिवस अथवा लॉकडाउन घोषित होने पर तहसील इछावर में पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमांड ड्यूटी का कार्य संपादित किया जायेगा।

2- बुदनी मजिस्ट्रेट के अनुपलब्ध होने पर वहां का रिमांड कार्य **नसरुल्लागंज** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा और उनके भी उपलब्ध न होने पर **सीहोर** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

3- नसरुल्लागंज में मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने पर वहां का रिमांड कार्य **बुदनी** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा और उनके भी उपलब्ध न होने पर **सीहोर** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

4- इछावर मजिस्ट्रेट के उपलब्ध न होने पर उनका रिमांड कार्य **सीहोर** में रिमांड कार्य कर रहे मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।

5- यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणों से अवकाश अथवा प्रशिक्षण में जाते हैं तो इस दशा में उनकी रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

6- उक्त दिनाकों को संबंधित न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने-अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेंगे।


7- उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट में से किसी के भी स्थानांतरण होने की दशा में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट द्वारा या उनके पद उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड कार्य संपन्न किया जावेगा।

8- यदि किसी अवकाश दिवस में किसी कारणवश परिवर्तन होता है तो उस अवकाश दिवस में नियत रिमाण्ड ड्यूटी को संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जावेगा।

9- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट को नियत रिमांड ड्यूटी में किसी अपरिहार्य कारणवश परिवर्तन करना आवश्यक हो तो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिखित में सहमति उपरान्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से रिमाण्ड तिथि में परिवर्तन किया जा सकेगा।

नोट :-

1- उक्त सूची में वर्णित किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उनके स्थान पर पदस्थ कनिष्ठतम से वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्तानुसार रिमाण्ड कार्य संपादित किया जावेगा।



(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)

पृष्ठा.क्रमांक- / मु0न्या0म0 / 2024

सीहोर, दिनांक 04 / 05 / 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीहोर/नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3- समस्त थाना प्रभारी की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि प्रकरण से संबंधित जानकारी कार्यालय की ई-मेल आई.डी. **-dcourtseh_mp@nic.in** पर आवश्यकतानुसार प्रेषित करें।
- 4- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कि उक्त रिमाण्ड पत्रक से तहसील अभिभाषक संघ को अवगत कराने का कष्ट करें एवं प्रकरण से संबंधित आवेदन व दस्तावेज कार्यालय की ई-मेल आई.डी. **डी.dcourtseh_mp@nic.in** पर आवश्यकतानुसार प्रेषित करें।
- 5- सिस्टम आफिसर/अस्सिस्टेंट सिस्टम आफिसर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त अवधि में न्यायालय में उपस्थित होकर व्ही.सी. की नियमानुसार कार्यवाही संपादित करायें।
- 6- सिस्टम ऑफिसर जिला सीहोर की ओर प्रत्येक संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के ई-मेल तथा जिला न्यायालय सीहोर के पोर्टल/वेबसाईट में प्रसारित करने हेतु प्रेषित।
- 7- जिला अभियोजन अधिकारी, सीहोर/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नसरुल्लागंज/बुदनी/इछावर, जिला-सीहोर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


(श्रीमती अर्चना नायडू बोडे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला-सीहोर (म.प्र.)